



कार्यालय आदेश

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक संख्या Co-ord/3(6)2011/Amendment Scheme/13637 दिनांक 28.08.2014 के द्वारा एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में (एतदुपरांत मुख्य योजना के रूप में संदर्भित) पैराग्राफ 7 में उप पैराग्राफ(1) के आलोक में कर्मचारी भविष्य निधि की काटी जाने वाली राशि की सीमा रूपये 6500/- (छः हजार पाँच सौ रूपये मात्र) से बढ़ा कर रूपये 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय में Writ संख्या CWJC No.19300/13 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संविदा पर नियुक्त कर्मियों की कर्मचारी भविष्य निधि की राशि देयता के लिए सुनवाई हेतु लंबित हैं। भविष्य निधि संबंधित वर्तमान व्यवस्था इस शर्त के साथ की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम न्यायादेश से निर्देशित होगा। यह आदेश 01.11.2014 से लागू होगा। कर्मचारी अंशदान पूर्व की भांति 8.33% और पारिवारिक पेंशन की राशि 3.67% ही रहेगा।

(राहुल सिंह)

संख्या : 7323

दि - 31-12-14 राज्य परियोजना निदेशक

- प्रतिलिपि:- 1. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान सभी जिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक